तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल0आर0/6144/2005/नागौर सरकार बनाम केशरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-2-2020	**एकल पीठ** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थित–** श्री ओ0पी0 भट्ट, उप राजकीय अधिवक्ता श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत रेफरेन्स धारा 232, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं धारा 9, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के अन्तर्गत विद्वान अति0कलक्टर, डीडवाना, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 22/2005 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 15–09–2005 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, नॉवा, जिला नागौर ने धारा 232, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं धारा 9, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान अति0 कलक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि मौजा घाटवा के खसरा नम्बर 16 रकबा 33 बीघा बन्दोबस्त सम्वत् 2008 में सरंकारी मिल्कियत में **गै0मु0 नाडा** दर्ज रहा है। खसरा नम्बर 16 रकबा 24 बीघा किस्म बारानी–1 का नामांतरकरण संख्या 582 उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के आवंटन आदेशानुसार मंगला पुत्र सेवा बलाई रकबा 8 बीघा, केशा पुत्र लादू बलाई रकबा 8 बीघा, मालकी पत्नि पूरा बलाई रकबा 8 बीघा किया गया है और विक्रय दिनांक 27.1.2080 को किया गया है। गै0मु0 अंगौर, नदी, नाले, झील, बॉध–तालाब, नाडी, जल प्रवाह, जल मग्न भूमि धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में भूमि की किस्म पूर्व अनुसार अंकित करने के निर्देश प्रदान किये है। विद्वान अति0 कलक्टर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार करने और प्रश्नगत आराजी पर खातेदारी इन्द्राज बहक अप्रार्थी निरस्त करने और प्रश्नगत भूमि को पुनः गै0मु0 नाडा राजकीय भूमि दर्ज किये जाने की राय के साथ हस्तगत रेफरेंस मण्डल को अभिशंषित किया गया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल0आर0/6144/2005/नागौर सरकार बनाम केशरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उभय पक्ष के योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय उप अधिवक्ता प्रार्थी ने रेफरेन्स के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 नाडी दर्ज रिकार्ड थी। उक्त आराजी को अविधिक रुप से अप्रार्थी के पक्ष में खातेदारी में अंकित किया गया है। ये समस्त अंकन विधि विरुद्ध किये गये हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निर्देश प्रदान किये हैं जिसके अनुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः अभिशंषित रेफरेन्स प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में है जिसे स्वीकार किया जाये।

अप्रार्थी पक्ष की ओर से योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि कप्रश्नगत भूमि कृषि योग्य भूमि होने से अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन किया गया था और नामांतरकरण संख्या 582 दिनांक 27.1.80 दर्ज हो कर खातेदारी दी गई है। मौके पर भूमि जल प्रयोजन की भूमि में नहीं आती है। अप्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि पर पुराना कब्जा काश्त है और उसी के आधार पर नियमन किया गया है। भू प्रबन्ध में प्रश्नगत आराजी को गलत प्रकार से नाला अंकित किया गया है जिससे ये रेफरेन्स किया गया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने रेफरेन्स अस्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया एवं अति0 कलक्टर, डीडवान, जिला नागौर द्वारा अनुशंषित कार्यवाही का अध्ययन किया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुताबिक नामांतरकरण संख्या 582 खसरा नम्बर 16 24 बीघा किस्म **नाला** को मंगला पुत्र सेवा कौम बलाई रकबा 8 बीघा, केशा पुत्र लादू कौम बलाई रकबा 8 बीघा, मालकी पत्नि पूरा राम बलाई रकबा 8 बीघा किस्म बारानी–प्रथम खातेदार अंकित किया गया है और ये अंकन उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के नियमन आदेश दिनांक 30.6.79 के आधार पर किए गए हैं। नामांतरकरण संख्या 633 से मालकी पत्नि पूरा राम का हिस्सा विक्रय होने से अप्रार्थी मंगलाराम पुत्र सेवा राम के नाम अंकित किया गया है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार गै0मु0 नाला किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल0आर0/6144/2005/नागौर सरकार बनाम केशरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः– **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955" इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः– **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-** Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in- (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; प्रश्नगत भूमि पूर्व में गै0मु0नाला की भूमि होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः– *All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.* उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में अति0 कलक्टर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं है। रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है। फलतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप विद्वान अति0 कलक्टर, डीडवाना द्वारा अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 15.09.2005 से मण्डल को अभिशंषित किया गया हस्तगत रेफरेन्स **स्वीकार** किया जाता है। प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 16 रकबा 24 बीघा किस्म बारानी–1 पर खातेदारी इन्द्राज बहक अप्रार्थी निरस्त करने तथा प्रश्नगत भूमि को पुनः उसके मूल स्वरुप **"Original shape & use"** किस्म **"गै0मु0 नाला"** राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल0आर0/6144/2005/नागौर सरकार बनाम केशरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नियमानुसार नम्बर से कम हो। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ वापिस भिजवाया जाए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोजकुमार नाग)** **सदस्य**	